

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, बलरामपुर
(नजारत अनुभाग)

सूचना

जनपद न्यायालय, बलरामपुर के नवीन व पुराने न्यायालय परिसर में गिरा हुआ शीशम के पेड़ की खुली नीलामी दिनांक 23.09.2025 को सांय 04:30 बजे नवीन न्यायालय परिसर के मीटिंग हाल में की जानी है। नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपना आवेदन 22.09.2025 तक सांय 05 बजे तक केन्द्रीय नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, बलरामपुर में प्रस्तुत करना होगा।

उपरोक्त के सन्दर्भ में खुली नीलामी हेतु बायलॉज संलग्न कर दिये गये हैं।

उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-256/78--2-2018-42आई0टी0/2017टी0सी0 के अन्तर्गत वित्त (लेखा) अनुभाग-1, उ0प्र0 के शासनादेश संख्या ए-1-864/दस-08-15(1)/86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 के अनुरूप रु 1,00,000/- से अधिक मूल्य के सामान/सेवायें टेण्डर आमंत्रित करने की निविदाओं के लिये सीमा बढ़ाकर 10,00,000/- रुपये कर दिया गया। नवीन व पुराने न्यायालय परिसर में गिरा शीशम के पेड़ की नीलामी के लिये बुक मूल्य 10,00,000/- रुपये से कम है।

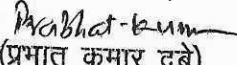
अतः ई-टेण्डरिंग पोर्टल पर खुली नीलामी नोटिस डाले जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

जनसाधारण की सूचना हेतु उपरोक्त नोटिस <http://www.allahabadhighcourt.in/> तथा <https://districts.ecourts.gov.in/balrampur> पर विस्तृत जानकारी को माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन के उपरान्त अपलोड कर दिया जायेगा।

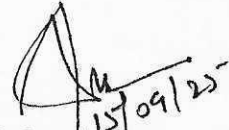
आदेश की प्रतिलिपि निम्न सूचना पटों पर चस्पा कराया जाए :-

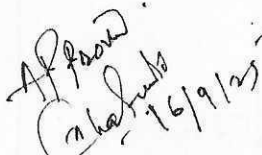
1. जनपद न्यायालय, बलरामपुर,
2. जिलाधिकारी कार्यालय, बलरामपुर, तहसील, बलरामपुर,
3. लोक निर्माण विभाग (प्रान्तीय खण्ड), बलरामपुर,
4. रोडवेज बस स्टेशन, बलरामपुर,
5. रेलवे स्टेशन (झारखण्डी), बलरामपुर,
6. विकास भवन, बलरामपुर के सूचना पटों पर चस्पा किया जाए।
7. जिला सूचना अधिकारी बलरामपुर को स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
8. सिस्टम ऑफीसर, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं जनपद न्यायालय बलरामपुर की वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने हेतु।
9. सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा।

दिनांक-15.09.2025


(प्रभात कुमार दुबे)
सदस्य, नीलामी समिति/
न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम,
बलरामपुर।


(अनूप कुमार पाण्डेय)
सदस्य, नीलामी समिति/
सिविल जज (प्रवर खण्ड)
बलरामपुर।


(सुमित प्रसाद)
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
अपर जनपद एवं सत्र
न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(एस0सी0/एस0टी0 एक्ट),
बलरामपुर।


(अनूप कुमार पाण्डेय)
16/9/25

जनपद न्यायालय, बलरामपुर।

नवीन व पुराने न्यायालय परिसर में गिरा हुआ शीशम पेड़ के नीलामी के लिए नियम व शर्तें:-

- 1- नवीन व पुराने न्यायालय परिसर में गिरा शीशम के पेड़ की नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपना आवेदन 22.09.2025 तक सायं 05 बजे तक केन्द्रीय नजारत अनुभाग जनपद न्यायालय, बलरामपुर में प्रस्तुत करना होगा।
- 2- उक्त शीशम के पेड़ की नीलामी की कार्यवाही दिनांक 23.09.2025 को सायं 04:30 बजे नवीन न्यायालय परिसर, बलरामपुर स्थित सभागार में सम्पादित होगी।
- 3- नवीन न्यायालय परिसर में गिरा शीशम का पेड़ का न्यूनतम आरक्षित धनराशि मु0 5827/- (पाँच हजार आठ सौ सत्ताइस) तथा पुराने न्यायालय परिसर में गिरा शीशम का पेड़ का न्यूनतम आरक्षित धनराशि मु0 3048/- (तीन हजार अड़तालीस रुपये) होगी।
- 4- नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपना हैसियत एवं निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड व फोटो स्वप्रमाणित करते हुए प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा इससे सम्बन्धित मूल प्रपत्र भी मिलान के लिए दिखाना होगा। इन प्रपत्रों के अभाव में किसी भी व्यक्ति को नीलामी में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा।
- 5- नीलामी में भाग लेने वाले जिन व्यक्तियों को पूर्व में न्यायालय परिसर में कोई भी ठेका आवंटित किया गया था, उससे सम्बन्धित कोई भी धनराशि अवशेष होने की दशा में उन्हें नीलामी में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा।
- 6- प्रत्येक बोलीकर्ता को नीलामी में प्रतिभाग करने से पूर्व बतौर जमानत रुपये 5000/- (पाँच हजार) की धनराशि जमा करनी होगी।
- 7- जिस प्रतिभागी द्वारा उच्चतम बोली लगायी जायेगी उस प्रतिभागी द्वारा जमा जमानत धनराशि को बोली धनराशि में समायोजित कर लिया जायेगा शेष प्रतिभागी की जमानत धनराशि उन्हें उसी दिन वापस कर दी जायेगी।
- 8- नीलामी स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश, बलरामपुर को होगा।
- 9- माननीय जनपद न्यायाधीश, बलरामपुर द्वारा बिना कारण बताये उच्चतम बोली को भी अस्वीकार किया जा सकता है।
- 10- जिस व्यक्ति की अंतिम बोली स्वीकृत की जायेगी, वह नियत प्रारूप पर एक संविदा सौ रुपये के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित करेगा।
- 11- बोली के अन्तिम होते ही बोली की धनराशि तत्काल नगद जमा करा लिया जायेगा। इस हेतु चेक, बैंक ड्राफ्ट या हुन्डी स्वीकार नहीं होगी।
- 12- नीलामी प्राप्तकर्ता द्वारा स्वीकृत धनराशि को न जमा करने पर नीलामी अस्वीकृत करते हुए उक्त प्रतिभागी की जमा जमानत धनराशि को राज्य सरकार के पक्ष में जप्त कर ली जायेगी तथा अगले उच्चतम बोली लगाने वाले को सफल माना जाएगा या पुनः नीलामी की जाएगी।
- 13- पूर्ण भुगतान के बाद नीलाम किये गये शीशम के पेड़ को उच्चतम बोली लगाने वाले को उपलब्ध करायी जायेगी तथा उच्चतम बोली लगाने वाला केन्द्रीय नाजिर की उपस्थिति में शीशम के पेड़ को परिसर से अपने खर्च के खर्चे पर निर्धारित स्थान से ले जा सकता है।
- 14- यदि नीलामी का अनुमोदन नहीं किया जाता है तो उच्चतम बोली लगाने वाले के द्वारा जमा की गयी समस्त धनराशि लौटा दी जायेगी।
- 15- विधि के अधीन किसी कर की जो देयता होगी वह केता/नीलामी प्राप्तकर्ता की होगी।
- 16- बोली में भाग लेने की अनुमति दिये जाने के पूर्व बोली लगाने वालों से यह लिखित रूप से प्राप्त किया जायेगा कि वे इन नियमों में निर्धारित एवं निबन्धनों को यथावत स्वीकार करते हैं।

उपरोक्त नियम व शर्तें माननीय जनपद न्यायाधीश, बलरामपुर को अनुमोदनार्थ सादर प्रेषित है।
दिनांक: 15.09.2025

Approved
16/9/25

Prabhat Kumar
(प्रभात कुमार दुबे)
सदस्य, नीलामी समिति/
न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम,
बलरामपुर।

Anurag Kumar
(अनूप कुमार पाण्डेय)
सदस्य, नीलामी समिति/
सिविल जज (प्रवर खण्ड)
बलरामपुर।

Sumit Prasad
(सुमित प्रसाद)
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
अपर जनपद एवं सत्र
न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(एस0सी0/एस0टी0 एक्ट),
बलरामपुर।